



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / Kendriya Vidyalaya Sangathan
अधीनस्थ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार / Under Ministry of Education, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू / Regional Office (Jammu)
राजकीय चिकित्सालय मार्ग / Govt Hospital Road
गाँधी नगर, जम्मू - 180004 / Gandhinagar, JAMMU-180004
दूरभाष / Ph. No: 2453528, फैक्स / Fax : 243008
Website: www.rojammu.kvs.gov.in, E-mail: kvsjammuadmn@gmail.com

एफ.24061/2022/के.वि.स.(जम्मू संभाग)/प्रशा. 9277-9349

दिनांक: 27.07.2023
ई-मेल द्वारा

कार्यालय आदेश

सहायक आयुक्त (सतकर्ता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक फा. स.11-55/2000 के विसं. (सतकर्ता) पीटी.1/1311-135: दिनांक :-05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के संबंध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.04.2022 के संशोधन में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की "आंतरिक शिकायत समितियों (आई.सी.सी.)" को संशोधित निम्न प्रकार से किया जाता है :

क्रमांक	नामित किया जाने वाला सदस्य	नामावली	अधिकार क्षेत्र
01.	श्रीमती स्वाति अग्रवाल, सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।	पीठासीन अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर) तथा सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करना।
02.	श्रीमती उषा आनंद, अध्यक्ष, महिला कल्याण संस्था, कच्ची छावनी, जम्मू।	गैर-सरकारी संगठन, सदस्य (NGO Member)	
03.	श्री भूषण कुमार, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय न.2, जम्मू छावनी।	सदस्य	
04.	श्री रमेश कुमार, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सुन्जुवान।	सदस्य	

टिप्पणी:-

- सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा की इस तरह नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला होंगे।
- पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।


(नगेंद्र गोयल)
उपायुक्त

वितरण:

- समिति पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- समिति के सभी सदस्य / गैर-सरकारी संगठन, सदस्य (NGO Member) को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त प्राचार्यवृन्द, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जम्मू संभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है की उपर्युक्त आदेश को विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए तथा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु 09 दिसम्बर 2013 को लागू व के.वि.सं., मुख्य. के पत्र दिनांक 05.03.2019 तथा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2019 को परिचालित पत्र के अनुसार व उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधान के सम्बन्ध में अपने विद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति को संशोधित करें। इस सन्दर्भ में विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें। आंतरिक शिकायत समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के पीठासीन अधिकारी विद्यालय स्तर की आंतरिक शिकायत समिति में भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- सहायक आयुक्त (सतकर्ता), के.वि.सं. (मुख्यालय) नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को पत्र दिनांक 26.07.2023 के सम्बन्ध में।
- उपायुक्त/निदेशक, सभी संभागीय कार्यालय, के.वि.सं. व सभी ZIETs को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जम्मू संभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

³[3-C. Prohibition of sexual harassment of working women

(1) No Government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at any workplace.

(2) Every Government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such workplace.

EXPLANATION.— 1. For the purpose of this rule,—

(a) “sexual harassment” includes any one or more of the following acts or behaviour, (whether directly or by implication), namely:—

(i) physical contact and advances; or

FILE 3-C] PROHIBITION OF SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN 11

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) making sexually coloured remarks; or

(iv) showing pornography; or

(v) any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of a sexual nature.

(b) the following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment:—

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in employment; or

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or

(iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

(c) “workplace” includes,—

(i) any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government;

(ii) hospitals or nursing homes;

(iii) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;

(iv) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey;

(v) a dwelling place or a house. }